राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1279/2023

डॉ. जगमोहन गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राज.।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त शर्मा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री एल.एम. भारद्वाज, अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सेटेलाइट चिकित्सालय, भरतपुर किया गया था, जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.11.2022 को कार्यग्रहण कर लिया गया। एक अन्य आदेश दिनांक 04.11.2022 के द्वारा अन्य व्यक्ति डॉ गौरीशंकर शर्मा का स्थानांतरण भी सेटेलाइट चिकित्सालय, भरतपुर किया गया था। इसके उपरांत अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने की दिनांक से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से पत्र दिनांक 03.02.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को प्रेषित कर यह निवेदन किया था कि संस्था में एक ही चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, ऐसे में वेतन आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जावें। अपीलार्थी ने वेतन दिये जाने के संबंध में बार–बार पत्र भी लिखे हैं, परंतु अपीलार्थी को वेतन नहीं गया है।
3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 04.11.2022 के द्वारा किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण सेटेलाइट चिकित्सालय, भरतपुर में डॉ. रश्मि गुप्ता की सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर किया जायेगा। निजी प्रत्यर्थी द्वारा डॉ. रश्मि गुप्ता की सेवानिवृत्ति

के बाद कार्यग्रहण कर लिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी को उक्त पद से वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। वर्तमान में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, भरतपुर में एक पद पर दो चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। यह तथ्य अविवादित है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी से पूर्व ही उक्त पद पर हुआ था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने चुंकि स्थानांतरण आदेश की पालना में राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, भरतपुर में कार्यग्रहण कर लिया था। अतः अपीलार्थी को वेतन प्रदान नहीं किया जाना उचित नहीं है।
6. अतः प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को किसी भी रिक्त पद से बकाया वेतन का भुगतान किया जायें। इस आदेश की पालना 3 सप्ताह में की जावें।
7. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)